न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 02 / 2018
प्रविष्टि दिनांक 30.04.2018

जरिये धर्मचन्द अग्रवाल,प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक
– प्रार्थी

बनाम

श्री सुरेन्द्र शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा पता विकास विहार कॉलोनी टोंक
– अप्रार्थी

जब्तशुदा 11 गैस सिलेण्डर मय गैस, 2 मोटर, 1 रबर पाईप रेगुलेटर व नोजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः–

1– पेराकार सरकार –प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक : 22.09.2022

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है दिनांक 13.04.2018 को घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग एवं अवैध रिफिलिंग की जाँच वास्ते जिला रसद अधिकारी टोंक बहमराह प्रवर्तन निरीक्षकगण के साथ संयुक्त जाँच दल टोंक शहर डिपो क्षेत्र में विकास विहार कॉलोनी में सुरेन्द्र शर्मा के यहाँ पहुँचे। मकान के अन्दर एक कमरे में एक मोटर रखी होना पाई गई,जिसमें गैस के पाईप लगे हुये है,जिस पर गैस फिल्टर लगा हुआ है। इससे यह शंकित हुआ कि यहाँ अवैध रिफिलिंग का कारोबार होता है। श्री सुरेन्द्र के घर के ठीक सामने एक बाडा बना हुआ है जिस पर टीनशेड लगा हुआ है। श्री सुरेन्द्र शर्मा द्वारा उक्त बाडे पर लगा ताला खुलवाकर बाडे की जाँच करने पर पाया कि बाड़े के अन्दर अर्धनिर्मित छोटे कमरे में 6 घरेलू सिलेण्डर रखे होना पाये गये तथा 5 व्यवसायिक सिलेण्डर रखे होना पाये गये [illegible] अतिरिक्त एक अन्य मोटर भी बाड़े में रखे होना पाई गई। मौके पर मिले सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:48:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

घरेलू गैस (Dometic cylinder 14-2 KG क्षमता के)

क. स.	नाम कम्पनी	S R No.	Gross Weight KG	Tear Weight	Net Gross Weight
1	BPC	15648-S	30.5 KG	15.9 KG	14.6 KG
2	IOC	908258- S	15.9 KG	15.5 KG	0.4 KG
3	BPC	91152 -S	31.2 KG	16.6 KG	14.6 KG
4	BPC	112655- S	30.8 KG	16.2 KG	14.6 KG
5	BPC	607076 -S	21.4 KG	15.9 KG	5.5 KG
6	BPC	0351124- T	30.0 KG	15.9 KG	14.1 KG
				Total	63.8 KG

(व्यावसायिक सिलेण्डर क्षमता 19 किलोग्राम)

क.स	नाम कम्पनी	S R No.	Gross Weight KG	Tear Weight	Net Gross Weight
1	BPC	50506	20 KG	20 KG	Nil
2	BPC	000672- S	20 KG	19.2 KG	0.8 KG
3	BPC	9022 -S	19.5 KG	19.1 KG	0.4 KG
4	IOC	55677- J	19.2 KG	19.2 KG	Nil
5	IOC	358911 -P	19.7 KG	19.4 KG	0.3 KG
				Total	1.5 KG

इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डरों में कुल 63.8 KG एवं व्यावसायिक सिलेण्डरों में 1.5 KG इस प्रकार मौके पर कुल 11 सिलेण्डरों में कुल 65.3 KG गैस भरी हुई पाई गई। मौके पर 6 Domestic एवं 5 व्यावसायिक सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया तथा इसके अतिरिक्त 2 मोटर पाई गई जिसमें से एक मोटर में गैस के पाईप लगे होना पाया गया तथा दूसरी मोटर में रबर पाईप मय व्यावसायिक Regulator लगा होना पाया गया । इसके अतिरिक्त एक पाईप मिला जिसके एक तरफ Domestic Cylinder में लगने वाला Regulator एवं दुसरी तरफ Petromax में लगने वाला नोजल लगा हुआ पाया गया ।श्री सुरेन्द्र शर्मा द्वारा किया गया उक्त कार्य LPG Control Order 2000 के आदेशों का स्पष्ट उलल्घंन है । चूंकि उक्त LPG के अवैध भण्डारण के बारे में श्री सुरेन्द्र शर्मा द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया इसलिए उक्त 11 सिलेण्डर मय भरी हुई गैस , 1 मोटर मय पाईप्स , एक पुरानी मोटर तथा एक रबर पाईप मय नोजल को कब्जेराज लिया जाकर जब्त किया गया। उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण मे पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने ब[illegible] 13.04.2018 को घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग एवं अवैध रिफिलिंग [illegible] जिला रसद अधिकारी टोंक के साथ बहमराह प्रवर्तन निरी[illegible] के रूप मे, टोंक शहर डिपो क्षेत्र में विकास विहार कॉलो[illegible]मकान के अन्दर एक कमरे में एक मोटर रखी होना [illegible] पाईप लगे हुये है,जिस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:48:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

गैस फिल्टर लगा हुआ है। इससे यह शंकित हुआ कि यहाँ अवैध रिफिलिंग का कारोबार होता है। श्री सुरेन्द्र शर्मा की धर्मपत्नि को कहकर श्री सुरेन्द्र शर्मा को मौके पर बुलवाया गया। श्री सुरेन्द्र के घर के ठीक सामने एक बाडा बना हुआ है जिस पर टीनशेड लगा हुआ है।श्री सुरेन्द्र शर्मा द्वारा उक्त बाडे पर लगा ताला खुलवाकर बाडे की जाँच करने पर पाया कि बाड़े के अन्दर अर्धनिर्मित छोटे कमरे में 6 घरेलू सिलेण्डर रखे होना पाये गये तथा 5 व्यवसायिक सिलेण्डर रखे होना पाये गये,इसके अतिरिक्त एक अन्य मोटर भी बाड़े में रखी होना पाई गई। श्री सुरेन्द्र से पूछताछ करने पर बताया कि मैं पहले अवैध रिफिलिंग का कार्य करता था,अब नहीं करता हूँ। उक्त 6 सिलेण्डर घरेलू उपयोग Domestic Use के 14.2 KG क्षमता के है जो बाड़े में अवैध भण्डार कर रखे होना पाये गये जिसके बारे में श्री शर्मा द्वारा कोई साक्ष्य/संतोषजनक जवाब मौके पर नहीं दिया गया । इसके अतिरिक्त मौके पर बाड़े में 5 व्यावसायिक सिलेण्डर क्षमता 19 किलोग्राम के रखे होना पाये गये। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों में कुल 63.8 KG एवं व्यावसायिक सिलेण्डरों में 1.5 KG इस प्रकार मौके पर कुल 11 सिलेण्डरों में कुल 65.3 KG गैस भरी हुई पाई गई,इसके अतिरिक्त 2 मोटर पाई गई जिसमें से एक मोटर में गैस के पाईप लगे होना पाया गया तथा दूसरी मोटर में रबर पाईप मय व्यावसायिक Regulator लगा होना पाया गया और इसके अतिरिक्त एक पाईप और मिला जिसके एक तरफ Domestic Cylinder में लगने वाला Regulator एवं दुसरी तरफ Petromax में लगने वाला नोजल लगा हुआ पाया गया ।

सिलेण्डरों के साथ उक्त मोटरों एवं पाईप के पाये जाने से यह स्पष्ट है कि यहाँ अवैध रिफिलिंग का कार्य होता है। श्री सुरेन्द्र शर्मा द्वारा किया गया उक्त कार्य LPG Control Order 2000 के आदेशों का स्पष्ट उलल्धंन है। उक्त 11 सिलेण्डर मय भरी हुई गैस,1 मोटर मय पाईप्स,एक पुरानी मोटर तथा एक रबर पाईप मय नोजल को कब्जेराज लिया जाकर जब्त किया गया तथा उक्त जब्त सामग्री को सुरक्षा की दृष्टि से संभालकर रखने हेतु टोंक गैस डिस्ट्रिबुटर्स के प्रतिनिधी श्री किशोर महावर की सुपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द–बुर्द नहीं करे। प्रार्थी ने उक्त कृत्य कर द्रवीकृत पेटोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश,2000 की धारा 3 ख ग 7–1 ग,4–1 क ड 6 का स्पष्ट उल्लंघन किया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त प्रकरण में आरोपी सुरेन्द्र शर्मा के विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। अतः उक्त जब्तशुदा 11 गैस सिलेण्डरों (6घरेलू व 5 व्यवसायिक सिलेण्डर) मय 65.3 किलोग्राम एलपीजी गैस 2 मोटर मय पाईपस,1 रबर पाईप मय नोजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है जिसे राजसात किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस [illegible] पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 13.04.20[illegible] के [illegible]सार श्री सुरेन्द्र शर्मा के मकान/बाडे की आकस्मिक जॉच [illegible]रीक्षण करने [illegible] मौके पर घरेलू गैस [illegible] गये। अवैध /व्यावसायिक गैस सिलेण्डरो का [illegible]

न्यायालय जिला कलेक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:48:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

भण्डारण करने के कारण उक्त 11 सिलेण्डरो को मय 65.3 किलोग्राम एलपीजी गैस,2 मोटर मय पाईप्स,1रबर पाईप मय नोजल सहित मौके पर जब्त कर तौल पट्टी तैयार की गई जिनका विवरण निम्नानुसार है।

घरेलू गैस (Dometic cylinder 14-2 KG क्षमता के)

क.स	नाम कम्पनी	S R No.	Gross Weight KG	Tear Weight	Net Gross Weight
1	BPC	15648-S	30.5 KG	15.9 KG	14.6 KG
2	IOC	908258- S	15.9 KG	15.5 KG	0.4 KG
3	BPC	91152 -S	31.2 KG	16.6 KG	14.6 KG
4	BPC	112655- S	30.8 KG	16.2 KG	14.6 KG
5	BPC	607076 -S	21.4 KG	15.9 KG	5.5 KG
6	BPC	0351124- T	30.0 KG	15.9 KG	14.1 KG
				Total	63.8 KG

(व्यावसायिक सिलेण्डर क्षमता 19 किलोग्राम)

क.स	नाम कम्पनी	S R No.	Gross Weight KG	Tear Weight	Net Gross Weight
1	BPC	50506	20 KG	20 KG	Nil
2	BPC	000672- S	20 KG	19.2 KG	0.8 KG
3	BPC	9022 -S	19.5 KG	19.1 KG	0.4 KG
4	IOC	55677- J	19.2 KG	19.2 KG	Nil
5	IOC	358911 -P	19.7 KG	19.4 KG	0.3 KG
				Total	1.5 KG

जांच करने पर मकान/बाडे मे मौके पर 11 घरेलू गैस/व्यावसायिक सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर किशोर,अनिल तथा शोभा के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी अनिल,दानिश व सुरेन्द्र के हस्ताक्षर है। टोंक गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि किशोर महावर को उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को घरेलू गैस/व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व अवैध रूप से रिफलिंग का कारोबार करने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 11 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस/व्यावसायिक गेस सिलेण्डरो मय 65.3 kg को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2022 को [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:48:47 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर,टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते